निग /2903/II/15

18

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र

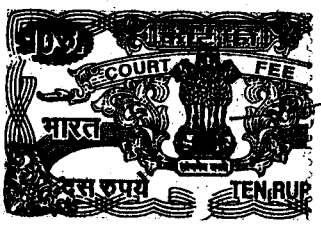

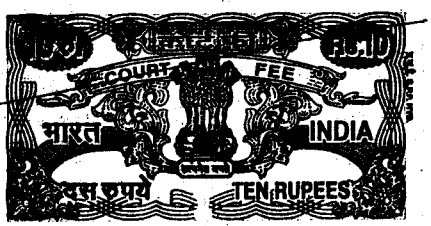

Rs. 20/-

287
29.7.15

1- रामप्रसाद पटेल पिता श्री नर्वदा प्रसाद पटेल निवासी ग्राम पांती, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म०प्र०)- -- निगरानी कर्ता

विरुद्ध

1- श्रीमती रामवती पुत्री श्री रामनारायण शर्मा पत्नी स्व०श्री संकर्षण प्रसाद निवासी निपनिया तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०- -- अनावेदक

श्री अशोक सिंह एड० के द्वारा आज दिनांक 29.7.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़ द्वारा अपील प्र०क्र० 17/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 19/3/2015 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता.

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

(01) विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक - 19/03/2015 विधि एवम् प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार तहसील गुढ़ के न्यायालय में निगरानी कर्ता की ओर से प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण क्रमांक 81अ6/2004-05 में रामवती पक्षकार थी, उस पर विधिवत सम्मन तामील हुआ था, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गयी थी। निगरानी कर्ता के पक्ष में ग्राम सहिजना स्थित आराजी नंबर 476 रकबा 0.105हे०, स्थित ग्राम सहिजना का विधिवत नामांतरण दिनांक 24/11/2005 को पारित किया गया था। रामवती की ओर से अपील लगभग 5 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी थी, जो [illegible] से प्रस्तुत की थी। किन्तु जिस तरह के तर्क दिये हुये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2903–दो/15 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03 –04–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुढ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 17/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 19–3–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं निगरानी मेमो का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुये "अपीलांट का राजस्व खसरे में भूमिस्वामी दर्ज रही है उसके नाम की भूमियों का नामांतरण उत्तरवादी के नाम हुआ है। अपीलांट के पुत्र द्वारा तहसील में प्रस्तुत आवेद दिनांक 16–9–09 एवं तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन 20–7–09 की छायाप्रतियां पेश की गयी है। आवेदनों में आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है। सीमांकन पंचनामा दिनांक 6–8–09 में भी आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट भूमिस्वामी दर्ज रही है अतः उसका म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।" अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका म्याद अधिनियम की धारा 5	

का आवेदन स्वीकार कर प्रकरा अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रकरण का निराकरण तकनिकी आधारों पर न करते हुये गुण–दोषों पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कई न्यायदृष्टांत भी हैं। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकदण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य